उत्तराखंड के हर ज़िले में गठित होगी सड़क सुरक्षा समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सड़क सुरक्षा के नोडल अधिकारी सुधांशु गर्ग ने बताया कि **राज्य के प्रत्येक ज़िले में डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति** गठित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इन समितियों का गठन **सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुरूप** किया जाएगा।
- इसमें एसपी, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन, मंत्रालय के प्रतिनिधि, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, निगम-पालिका के ईई एवं किसी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि सदस्य, जबकि स्टेट हाईवेज के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- यह समिति हर ज़िले में **सड़क सुरक्षा प्लान** बनाएगी, जिसमें ज़िले में बड़े हादसे होने की स्थिति से निपटने के लिये इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी शामिल होगा।
- महीने में **कम-से-कम एक बार इस ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक** होगी।
- गौरतलब है कि **भारत ब्रासीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश** है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/road-safety-committee-to-be-constituted-in-every-district-of-uttarakhand